भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 17AD 345701

यह जनरल स्टॅम्प पेपर संस्था श्री की खां मे मो० पिल मुस्लिम एजुकेशनल सोसायटी मो० खलीलउल्ला खां जहूनी बीसलपुर पीलीभीत

प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2017-2018 की प्रमाणित प्रतिलिपि के साथ संलग्न है। जिसकी पंजीकरण संख्या B-28961 है।

सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली क्षेत्र, बरेली ★ उ०प्र० ★

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)

13/6/2017

शफी खॉ मेमोरियल मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी, मो0 हबीवउल्ला खॉ जनूवी, बीसलपुर, पीलीभीत

प्रबन्ध समिति की सूची वर्ष 2019-20

क्र0	नाम/पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती मलका बेगम पत्नी श्री अनीस अहमद खॉ	मो0 हबीबउल्ला जनूबी, बीसलपुर पीलीभीत	अध्यक्ष	गृहणी
2.	श्री इफ्तिखार उद्दीन पुत्र श्री जहीर उद्दीन	मो0 ऊँचा, फरीदपुद, बरेली	उपाध्यक्ष	कृषि
3.	श्री अनीस अहमद खॉ पुत्र श्री शफी अहमद खॉ	मो0 हबीबउल्ला जनूबी, बीसलपुर पीलीभीत	प्रबन्धक/ सेक्रेट्री	कृषि
4.	श्री अहमद रजा खॉ पुत्र श्री अनीस अहमद खॉ	मो0 हबीबउल्ला जनूबी, बीसलपुर पीलीभीत	उपप्रबन्धक /असिस्टेन्ट सेक्रेट्री	कृषि
5.	श्री हसन रजा खॉ पुत्र श्री अनीस अहमद खॉ	मो0 हबीबउल्ला जनूबी, बीसलपुर पीलीभीत	कोषाध्यक्ष	इलैक्ट्रिक फिटर
6.	श्रीमती हिना पत्नी श्री हमीद खॉ	मो0 ऊँचा, फरीदपुद, बरेली	लेखा परीक्षक	व्यापार
7.	श्री मसरूर खॉ पुत्र श्री अबरार खॉ	रसयाखानपुर, बीसलपुर पीलीभीत	सदस्य	व्यापार

Manager
Shafi Khan Memorial Muslim
Educational Society
Bisalpur : Pilibhit

संशोधित स्मृति पत्र

1. संस्था का नाम : शफी खाँ मेमोरियल मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी,
2. संस्था का पूरा पता : मोहल्ला हबीबुल्ला खाँ जनूवी, बीसलपुर, पीलीभीत।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था के उद्‌देश्य :

1. छात्र–छात्राओं की शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आन्तरिक उन्नति एवं विकास, व्यायाम की शिक्षा का समुचित प्रबन्ध करना।
2. अन्य वे सभी कार्य करना जो शिक्षा के विकास एवं उन्नति में सहायक हों तथा सोसाइटी रजिस्ट्रेषन ऐक्ट की धारा 20 के अर्न्तगत हों।
3. क्षेत्र के दस्तूरे हिन्द की दफा 30(1) के अन्तर्गत तालीमी पसमान्दगी को दूर करने की गरज से हस्ब जरूरत तालीमी इदारों को कायम करना एवं उनका प्रबन्ध करना, क्षेत्र में शिक्षा का प्रचार व प्रसार करना।
4. संस्था के मिलते जुलते उद्‌देश्य वाली संस्थाओं को उनके उद्‌देश्यों की पूर्ति में सहायता करना।
5. संस्था का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रहित व जनहित में कार्य करना है। समाज में सभी धर्मो/समुदाय/व्यक्तियों में सौहाद्रपूर्ण एवं आपसी मेलजोल रखना है।

राष्ट्रहित व जनहित में समाज के सभी धर्मों, वर्गों, जातियों विशेषकर मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग के शैक्षिक विकास हेतु प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक सभी प्रकार की शैक्षिक संस्थाओं/स्कूल/ मदरसा/ विद्यालय/ महाविद्यालय/ डिग्री कालेज/ शिक्षण केन्द्रों/ तकनीकी/ कम्प्यूटर/ कोचिंग संस्था आदि की स्थापना व संचालन करना तथा शिक्षा से सम्बन्धित सभी प्रकार के कार्य करना।

7. यू0पी0 बोर्ड, सी0बी0एस0ई0 बोर्ड, आई0सी0आई0 बोर्ड, उर्दू तथा फारसी मदरसों, मेडिकल शिक्षण संस्थान तथा किसी भी विश्वविद्यालय अथवा किसी भी बोर्ड से सम्बद्धता तथा मान्यता प्राप्त करना व विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड के नियम के अन्तर्गत कार्य करना।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली क्षेत्र, बरेली ★ उ0प्र0 ★

.................2

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ0प्र0)

27/11/2015

8. शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में नागरिकों के सर्वांगीण विकास हेतु केन्द्रीय एवं राज्य सरकार के सम्बन्धित विभाग से चलाई जा रही विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का प्रचार–प्रसार कर नागरिकों के सर्वांगीण विकास एवं उनके उत्थान हेतु योजनायें तैयार करना एवं प्राप्त आय को संस्था के हितार्थ चैरिटेबिल कार्यो पर व्यय करना।

9. जन जीवन के सामाजिक, मानसिक, नैतिक, शारीरिक, बौद्धिक विकास हेतु सभी प्रकार के कार्य करना एंव उनसे सम्बन्धित विद्यालय खोलना एवं संचालन करना। बेरोजगार युवक एवं युवतियों का व्यावसायिक, तकनीकी, कम्प्यूटर हार्डवेयर और साफ्टवेयर का निःशुल्क प्रशिक्षण देना एंव संचालन करना तथा उन्हें आदर्श नागरिक बनाना।

10. छात्रावास, पुस्तकालय, वाचनालय, संग्रहालय, व्यायामाशाला, निः शुल्क चिकित्सालय, प्रयोग शाला प्रौढ शिक्षा, अनौपचारिक शिक्ष आदि की स्थापना एवं संचालन करना, पत्रिका, पुस्तकों आदि का सम्पादन करना। दस्तकारी, टाईप, शाट हैण्ड, पेन्टिंग, फैशन डिजाईनिग, फोटोग्राफी रेडिमेड गारमेन्टस, बुटीक, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई क्रियेटिव राईटिंग, फैशन डिजाईनिंग, ब्यूटीशियन, चिकन, जरी, डाल मेकिंग, फ्लावर मेकिंग, फल प्रसंस्करण खाद्य प्रसंस्करण, स्क्रीन प्रिन्टिंग, आफसेट प्रिन्टिंग, पेन्टिंग, वाल पेन्टिग, हस्तकला, फोटोग्राफी एवं अन्य प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना व संचालित करना। बालक–बालिकाओं को आदि का निःशुल्क प्रशिक्षण दिलाकर उनमें स्वावलम्बन की भावना जाग्रत करना।

11. वृद्ध व्यक्तियों/ अनाथ बच्चों/ बाल मजदूर/ बाल विकास/ महिलाओं से सम्बन्धित सभी प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं का संचालन करना, किसानों हेतु कृषि आदि कार्यों से सम्बन्धित कार्य/ योजनाओं का संचालन करना, ग्रामीण समुदाय के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना, स्कालरशिप योजनाओं का संचालन, गरीब युवतियों के विवाह आदि करना।

12. समाज के विकास हेतु परिवार कल्याण कार्यक्रम, प्रेरणा शिविरों, रक्त दान शिविर, चिकित्सा शिविरों, एडस रोकथाम, जानलेवा बीमारियों की पहचान व रोकथाम हेतु जागरूकता शिविरों के माध्यम से लोगों को जागरूक करना एवं अन्य सभी प्रकार के शिविरों/ कार्यशालाओं/ सेमिनार/ प्रतियोगिताओं का आयोजन करना, कैंसर, टी0बी आदि बीमारियों के बचाव, उपचार के बारे में जनसामान्य में जानकारी प्रदान करना, मरीजों को वित्तीय, नैतिक एवं सामाजिक सुरक्षा एवं सहायता प्रदान करना। दैवीय आपदा से पीड़ित लोगों के लिए हर सम्भव प्रयास व मदद करना।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
27/11/2015

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली क्षेत्र, बरेली ★ उ0प्र0 ★

...............3

13. गरीबों, महिलाओं, बेसहारा, एवं ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के लोगों को अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना जिससे कि वे अपनी गरीबी मिटा सकें व स्वयं सहायताव आत्म निर्भरता प्राप्त करके अपने रहन–सहन के स्तर को ऊपर उठा सके, परिवार के अन्य सदस्यों को सामाजिक एवं आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो एवं उनका भविष्य उज्जवल हो सके।

14. पेंशन, स्वास्थ्य रक्षा एवं सामुदायिक स्वास्थय सेवाएं सुलभ कराना, दूसरे अन्य वैकल्पिक गतिविधियों जैसे पशुपालन, स्वयं सहायता समूह व स्थानीय रोजगार में बढ़ावा देना एवं अन्य वित्तीय सहायता प्रदान करना।

15. स्वच्छ पेयजल, जल संरक्षण एवं बरसाती पानी (जल संचयन) को जमा करने के लिए कार्य करना।

16. अन्य संस्थाओं एवं चेरिटेबिल ट्रस्टों की गतिविधियों में सम्मिलित होना अथवा उनका सहयोग लेना जो ट्रस्ट के उद्देश्यों के अनुरूप हों।

17. ज्ञानवर्धन हितार्थ निः शुल्क पुस्तकालय, वाचनालय, छात्रावास, चिकित्सालय, अनाथालय वृद्धा आश्रम, विधवा आश्रम, शिशु पालन गृह, बालवाड़ी, आंगनवाड़ी की स्थापना।

18. पर्यावरण सुधार एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए कार्य करना। पर्यावरण की रक्षा, प्रदूषण की रोकथाम, स्वच्छता हेतु सघन वृक्षारोपण कार्यक्रम संचालित करना व सम्बन्धित गोष्ठियों के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना।

19. नशा मुक्ति, परिवार कल्याण, स्वास्थ्य कल्याण टीकाकरण, पुष्टाहार, जनसंख्या नियंत्रण, कुष्ठ उन्मूलन, सामाजिक वानिकी दहेज उन्मूलन, हरियाली कार्यक्रम, वेश्यावृत्ति उन्मूलन, ऊसर, बंजर भूमि सुधार, बागवानी विकास, वैकल्पिक ऊर्जा विकास, पशु पक्षी संरक्षण, गौ–संरक्षण, भूमि एवं जल प्रबन्धन, पशु पालन आदि कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार।

20. समय–समय पर सांस्कृति व धार्मिक कार्यक्रम, विचार गोष्ठी, सेमिनार, सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता, वाद प्रतिवाद प्रतियोगिता, जागरूक शिविर, स्वास्थ शिविर, सामाजिक जागरूकता प्रदर्शनी एवं पल्स पोलियो प्रतिरक्षण शिविरों की व्यवस्था व आयोजन करना।

...............4

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
27/1/2015

Mobile | DOB | Gender | PAN No.

21. समाज के मूक–बधिरों, विकलांगों, नेत्रहीनों, विधवाओं, वृद्धों निराश्रितों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों, आदिवासी जनजाति, अल्पसंख्यकों, दलितों, पिछड़ी जातियों, अति पिछड़ी जातियों बेरोजगारों एवं शोषित वर्ग के लोगों के कल्याण एवं उत्थान सम्बन्धी कार्य करना।

22. राज्य सरकार व केन्द्र सरकार, समाज कल्याण विभाग, उ0प्र0, केन्द्रीय कपार्ट, अवार्ड, नावार्ड, सिडवी, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, यूनीसेफ, स्वास्थ्य मंत्रालय, पर्यावरण मंत्रालय, जिला उद्योग केन्द्र, कृषि विभाग, स्थानीय निकायों, समाज सेवी संस्थाओं, दानशील व्यक्तियों एवं अन्य श्रोतों से दान, अनुदान प्राप्त करना, विश्व स्वास्थ्य संगठन, हेल्पेज इण्डिया, आक्सकेम इण्डिया केयर द्वारा संचालित महिला एवं बाल विकास कार्यक्रमों तथा ग्रामीण एवं नगरीय विकास परियोजनाओं का प्रचार–प्रसार करना। सरकारी एवं गैरसरकारी एजेन्सियों, स्थानीय, राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों/संस्थाओं, वित्तीय व कारपोरेट संस्थाओं से सहायता प्राप्त करना।

23. परिवार नियोजन, मद्यनिषेध, दहेज प्रथा उन्मूलन निःशुल्क टीकाकरण, पोलियो ड्राप, सामाजिक कुरीतियों के निवारण हेतु प्रचार–प्रसार करना।

24. संस्था सरकार द्वारा स्थापित किसी भी विश्वविद्यालय की नियमावली के अन्तर्गत महाविद्यालयों को स्थापित करेगी एवं उनका पालन करेगी।

25. संस्था के समस्त उपरोक्त उद्देश्यों में मुस्लिम अल्पसंख्यक वर्ग एवं छात्राओं/ महिलाओं को प्राथमिकता दी जायेगी।

26. शफी खां समाज सेवी की याद में होनहार छात्र व छात्राओं को प्रोत्साहन देकर शफी खां एवार्ड देकर पुरूष्कृत करना।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली मंडल, बरेली ★ उ0प्र0 ★

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ0प्र0)
27/1/2015

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : शफी खाँ मेमोरियल मुस्लिम एजूकेशनल सोसायटी,
2. संस्था का पूरा पता : मोहल्ला हबीबुल्ला खाँ जनूवी, बीसलपुर, पीलीभीत।
3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।
4. संस्था की सदस्यता एवं वर्गः-

संस्था कि सदस्यता प्राप्त करने के लिए एक लिखित प्रार्थना पत्र प्रबन्धक को देना होगा। प्रबन्धक की अनुमति के उपरान्त एवं सदस्यता शुल्क जमा करके सदस्यता प्राप्त होगी।

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु रू0 100000/- एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होंगे।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखते होंगे या संस्था के विकास हेतु रू0 10000/- वार्षिक सदस्यता शुल्क चंदा स्वरूप निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे।

5. सदस्यता की समाप्ति
1. मृत्यु हो जाने पर।
2. पागल या दिवालिया हो जाने पर।
3. संस्था के विपरीत हानिकारक कार्य करने पर।
4. अविश्वास प्रस्ताव या तयागपत्र पारित होने पर।
5. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर।
6. लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित होने पर।
7. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर।
संस्था के हितों के विपरीत कार्य करने पर सदस्यता कि समाप्ति हेतु कोई लिखित नोटिस देने की आवश्यकता न होगी।

6. संस्था के अंग :- (अ) साधारण सभा (ब) प्रबन्धकारिणी समिति

7. साधारण सभा :-

गठन : साधारण सभा का गठन आजीवन और सामान्य सदस्यों का मिलाकर किया जायेगा।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकता अनुसार किसी भी समय बुलायी जा सकती है।

सूचना अवधि : साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम 07 दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना 24 घण्टे पूर्व सदस्यों को लिखित या मौखित रूप में दी जायेगी।

............2

सत्य प्रतिलिपि
सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
27/1/2015

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा।

प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष

1. सभी प्रकार की बैठको की अध्यक्षता करना।
2. संस्था के विकास हेतु आवश्यक कार्य करना।
3. बैठकों के लिए दिनांकों का निर्धारण/ अनुमोदन/ परिवर्तन/ परिवर्धन करना एवं बैठकों का स्थगित करना।
4. सदस्यों के नामांकन पत्र पर विचार करना।
5. राजकीय सहायता व अनुदान प्राप्त करना।

प्रबन्धक

1. सभी प्रकार की बैठको की अध्यक्षता करना।
2. संस्था के बिलों का भुगतान करना।
3. आय-व्यय का लेखा जोखा करना।
4. संस्था की ओर से अदालती कार्यवाही करना।
5. सभी प्रकार की वित्तीय सहायता/राजकीय सहायता एवं अनुदान प्राप्त करना।
6. संस्था के सदस्यों की नियुक्ति/निष्काष्न/पदोन्नति आदि का कार्य करना।
7. पत्र व्यवहार करना।
8. कार्यक्रमों का संचालन एवं प्रबन्धन करना एवं करवाना।
9. वार्षिक बजट तैयार करना।
10. चल अचल सम्पत्ति की देख रेख करना।
11. समान मत होने पर एक निर्णायक मत देना।
12. संस्था के अन्तर्गत स्थापित/संचालित सभी संस्थओं/योजनओं का मुख्य कार्यपालक अधिकारी प्रबन्धक होगा, उन पर नियन्त्रण रखना, नियमावली बनाना व संचालित करने का अधिकार प्रबन्धक का होगा।
13. संस्था के अन्तर्गत स्थापित/संचालित सभी संस्थाओं के व्यक्तियों की नियुक्ति/पदोन्नतें/निष्काशन/वेतन निर्धारण का अन्तिम निर्णय प्रबन्धक का होगा।
14. संस्था कि बैठक हेतु समय,दिनांक,स्थान तथा ऐजेन्डे का निर्धारण करना।
15. सोसाइटी का प्रबन्धक सोसाइटी द्वारा संचालित किसी भी संस्था कि प्रबन्ध समिति का प्रबन्धक स्वतः होगा और उसका कार्यकाल उतना होगा जितना कि सोसाइटी में होगा।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली क्षेत्र, बरेली ★ उ०प्र० ★

10. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

साधारण सभा के 2/3 सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा।

............4

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
2/11/2015

11. संस्था का कोष : संस्था का समस्त कोष किसी भी स्थानीय मान्यता प्राप्त वैंक मे संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा, जिसका संचालन अध्यक्ष तथा प्रबन्धक के संयुक्त हस्ताक्षर से होगा।

12. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (ऑडिट)
: संस्था के आय व्यय का लेख परीक्षण (ऑडिट) प्रति वर्ष सुयोग्य ऑडिटर द्वारा कराया जायेगा।

13. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व
: संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक पर होगा अथवा उसके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति पर होगा।

14. संस्था के अभिलेख : (अ) सदस्यता रजिस्टर,
(व) कार्यवाही रजिस्टर,
(स) एजेण्डा रजिस्टर,
(द) स्टॉक रजिस्टर,
(य) लेजर बुक।

15. विघटन : संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति की कार्यवाही सोसाईटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

अन्य नियम :-

1. विद्यालयों की प्रबन्धीकरण समितियों का समय-समय पर विभागों द्वारा नवीनीकरण कराया जायेगा।
2. विद्यालयों की प्रबन्ध समितियों में एक्स आफिसों मैम्बर होगें।
3. विद्यालयों को कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित अथवा अनुसूचित जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए रहेगें। और उनसे उ0प्र0 शि0परि0/ बे0शि0परि0/सी0वी0एस0ई0 संचालित विद्यालयों में विभिन्न कक्षाओ के लिए निर्धारित शुल्क नहीं लिया जायेगा।
4. विद्यालय मा0शि0परि0 में मान्यता प्राप्त हो तथा विद्यालय का सम्बन्ध सेन्ट्रल एजूकेशन नई दिल्ली कौसिंल फार इंडियन स्कूल सार्टीफिकेट एकजामिनेशन नई दिल्ली से प्राप्त होती है तो उक्त परीक्षा परिषदों से सम्बद्वता प्राप्त होने के तिथि से परिषद से मान्यता और राज्य सरकार से अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेगा। संस्था अपने साधनों के अनुरूप संस्था के शिक्षण तथा शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)
27/1/2015

राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतन मानो तथा अन्य भत्तो से कम से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेगें। भत्ते देने के लिए प्रयत्नशील रहेगी।

5. कर्मचारियों की सेवाशर्ते बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय माध्यमिक विद्यालयों के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवानिर्वत्त लाभ उपलब्ध कराए संस्था अपनी भरसक प्रयत्न करेगी। राज्य सरकार एवं बोर्ड द्वारा समय-समय पर आदेशों का पालन कराने में संस्था की कार्यकारिणी समिति एवं प्रबन्धक प्रयत्नशील विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।

विशेष नियम :-

1. महाविद्यालय का प्रधानाचार्य प्रबन्धन-संस्थान का पदेन कार्यकारी सदस्य हो।
2. प्रबन्धन संस्थान के पच्चीस प्रतिशत सदस्य शिक्षक हैं (प्रधानाचार्य को सम्मिलित करके
3. शिक्षक (प्रधानाचार्य के अतिरिक्त) जो अनुभाग (2) में उल्लिखित हैं ऐसे शिक्षक हैं से कम एक वर्ष से वरीयता क्रम के अनुसार कार्यरत हैं।
4. अनुभाग के प्रावधान के विषय में वर्ग 20 ब्यौरा देने के अर्थ में कोई भी दो सदस्य एक दूसरे से सम्बन्धित नहीं होंगे।
5. कार्यरत संविधान में कोई भी परिवर्तन उपकुलपति की पूर्व अनुमति लिए बिना नहीं किया जा सकेगा। प्रबन्धक संस्थान का एक सदस्य विद्यालय के (अशैक्षिक) वर्ग तृतीय कर्मचारी होगा जो वरीयता क्रम के चक्रनुसार एक वर्ष के लिए चयनित किया गया हो।
6. यदि कोई प्रश्न निम्न विषयों से सम्बन्धित उठता है कि क्या कोई व्यक्ति उचित चयनित कर लिया गया है। क्या काई सदस्य होने योग्य है। क्या प्रबन्धन संस्था पदारूढ़ व्यक्ति हैं। क्या प्रबन्धन संस्था वैधानिक ढंग से संगठित किया गया है। उपकुलपति महोदय का निर्णय ही अन्तिम होगा।
7. महाविद्यालय अपने सभी मौलिक दस्तावेज (आय एवं व्यय के सम्बन्ध में जिसमें सोसा0 ट्रस्ट बोर्ड या मूलक संस्था जिसके अन्तर्गत वह चलाया जा रहा है।) जैसे व्यक्ति, व्यक्तियां, जिन्हें उपकुलपति ने अधिकृत किया है अथवा उस निरीक्षण दल को विश्वविद्यालय द्वारा नियुक्त किया गया है के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए तत्पर हैं।

कार्यालय सहायक रजिस्ट्रार समितियाँ बरेली क्षेत्र, बरेली ★ उ०प्र० ★

दिनांक : 10.11.2014

सत्य प्रतिलिपि,

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
बरेली मंडल, बरेली (उ०प्र०)

25/11/2015